



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 12-2018/Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 23 जनवरी, 2018
(3 माघ, 1939 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 3/के०अ० 30/2013/धा० 30/2018, दिनांक 23 जनवरी, 2018 —भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2018. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	77-78
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग –III**हरियाणा सरकार**

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 जनवरी, 2018

संख्या का०आ० 3/के०अ० 30/2013/घा० 30/2018— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30), की धारा 30 की उप-धारा (2) के साथ पठित प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या 2 के खाना संख्या 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अधिसूचित करते हैं कि यदि परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली कोई भूमि ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है, तो बाजार मूल्य उक्त अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के अनुसार कलक्टर द्वारा यथा परिकल्पित बाजार मूल्य को नीचे दी गई अनुसूची में यथा वर्णित कारक द्वारा गुणित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्रम संख्या	राज्य में किसी भी शहरी क्षेत्र की बाहरी सीमा से अर्जित की जाने वाली भूमि के किसी विशेष किला या उसके किसी भाग, जैसी भी स्थिति हो, तक कम से कम/कोआ उड़ान/रेडियल दूरी	कारक जिसे बाजार मूल्य से गुणित किया जाना है
1.	2.	3.
1.	10 किलोमीटर तक	1.25
2.	10 किलोमीटर से अधिक तथा 20 किलोमीटर तक	1.50
3.	20 किलोमीटर से अधिक तथा 30 किलोमीटर तक	1.75
4.	30 किलोमीटर से अधिक	2.00

केशनी आनन्द अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

*[Authorised English Translation]***HARYANA GOVERNMENT****REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT****Notification**

The 23rd January, 2018

No. S.O.-3/C.A. 30/2013/S. 30/2018.— In exercise of the powers conferred under column 3 of Serial Number 2 of the First Schedule read with sub-section (2) of section 30 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act 30 of 2013), the Governor of Haryana hereby notifies that when any land to be acquired for the project is situated in rural areas, the market value as calculated by the Collector as per sub-section (1) of section 26 of the said Act shall be multiplied by the factor as mentioned given below in Schedule:-

Schedule

Serial number	Shortest/crow fly/radial distance from the outer boundary of any of the Urban Area in the State to any part of the particular Killa or part thereof, as the case may be, of the land to be acquired.	Factor by which the market value is to be multiplied in case of rural areas.
1.	2.	3.
1.	Upto 10 Km	1.25
2.	Above 10 Km and upto 20 Km	1.50
3.	Above 20 Km and upto 30 Km	1.75
4.	Above 30 Km	2.00

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.